भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1777
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के तहत कवर की गई फसलें

1777. श्री अरविंद गणपत सावंतः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश की सभी फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत बीमा कवरेज के लिए पात्र फसलों का महाराष्ट्र से संबंधित राज्य-वार विशिष्ट ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम दरों पर राजसहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसानों को पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान करना आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के प्रकारों के संबंध में कोई शर्तें अथवा अपवर्जन निर्धारित हैं और यदि हाँ, तो घटनाओं अथवा जोखिमों के प्रकारों को निर्दिष्ट करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या किसान बुवाई से पूर्व एवं कटाई के पश्चात् होने वाले नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ उठा सकते हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन विशिष्ट अवधियों के लिए कवरेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में उन सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जो फसल कटाई प्रयोगों (CCE) पर आधारित आवश्यक वर्षों के पिछले उपज आंकड़ों की उपलब्धता हो और राज्य सरकार के पास फसल की उपज का आकलन करने और दावों की गणना करने के लिए आवश्यक संख्या में CCEआयोजित करने की क्षमता हो। हालांकि, संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट फसल अधिसूचित की जाती है।

उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाली फसलों के लिए, संबंधित राज्य सरकार उन्हें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके तहत मौसम सूचकांक मापदंडों के आधार पर दावों का भुगतान निर्धारित किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित फसलों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): PMFBY के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बीमांकिक/बोली/निविदा किए गए प्रीमियम दरें वसूली जाती हैं। तथापि, पूरे देश में इस सीजन के लिए किसानों से अत्यंत कम प्रीमियम दर ली गई है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है। बीमांकिक प्रीमियम का शेष भाग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) के, जहां यह 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में मानक PMFBY के अलावा 3 वैकल्पिक जोखिम अंतरण मॉडल्स अर्थात कप एंड कैप मॉडल (80:110), कप एंड कैप मॉडल (60:130) और लाभ-नुकसान साझाकरण मॉडल का भी प्रावधान किया गया है। इन मॉडलों के तहत, एक निश्चित सीमा से कम दावों की स्थिति में, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का हिस्सा राज्य के कोष में वापस चला जाएगा। राज्यों को इनमें से कोई भी एक मॉडल मुख्य योजना के रूप में चुनने की छूट दी गई है।

(ङ) से (छ): PMFBY संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट और दलहन), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बुवाई पूर्व से फसलोपरांत तक क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करता है। योजना के अंतर्गत जोखिम कवरेज को दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् बेसिक कवर और ऐड-ऑन कवर।

बेसिक कवर जो अनिवार्य कवर है किसानों की फसलों को गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, शुष्क मौसम, बाढ़, जलभराव, व्यापक कीट एवं रोग आक्रमण, भूस्खलन, बिजली गिरने से लगी आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण होने वाले व्यापक उपज नुकसान के लिए क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उपज आंकड़ों के आधार पर दावों का निर्धारण और निपटान किया जाता है। इस स्थिति में, किसान को सरकार या बीमा कंपनी को नुकसान की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है।

तथापि, अनिवार्य बेसिक कवर के अलावा, राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI) की स्वीकृति से, अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट फसल/क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर, फसल के विभिन्न चरणों और फसल नुकसान के जोखिमों को कवर करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या सभी ऐड-ऑन कवर का चयन कर सकते हैं:

1. बुवाई/रोपण/अंकुरण न किए जाने वाले जोखिम का प्रावधन तब लागू किया जा सकता है जब बीमित क्षेत्र में कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी/जलवायु परिस्थितियों के कारण बुवाई/रोपण/अंकुरण नहीं किया जा सकता है।

2. फसल के मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों जैसे बाढ़, लंबे समय तक सूखा और गंभीर सूखा आदि के मामले में नुकसान के दौरान मध्य-मौसम प्रतिकूलता का प्रावधान लागू किया जा सकता है, जिसमें मौसम के दौरान अपेक्षित उपज सामान्य उपज के 50% से कम होने की संभावना होती है। यह ऐड-ऑन सुविधा ऐसे जोखिमों की स्थिति में बीमित किसानों को तत्काल राहत के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती है।

3. कटाई के बाद होने वाले नुकसानों के प्रावधान को उन फसलों के लिए कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि तक ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों के लिए कवरेज प्रदान करने के लिए लागू किया जा सकता है जिन्हें उस क्षेत्र में फसलों की आवश्यकता के आधार पर काटकर और फैलाकर/छोटे बंडलों में सुखाया जाना आवश्यक है और उन्हें कटाई के बाद खेत में छोड़ दिया जाना चाहिए।

4. स्थानीय आपदाओं संबंधी प्रावधान तब लागू किया जा सकता है, जब अधिसूचित बीमित फसलों को नुकसान/क्षति होती है, जो ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और अधिसूचित क्षेत्र में अलग-अलग खेतों को प्रभावित करने वाली बिजली के कारण प्राकृतिक आग के रूप में पहचाने गए स्थानीय जोखिमों की घटना के परिणामस्वरूप होती है।

5. जंगली जानवरों के हमले के कारण फसल की क्षति को राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में दिए गए विशेष प्रावधानों के अनुसार भी अधिसूचित किया जा सकता है।

ऐड-ऑन कवर के मामले में, जहाँ दावों का निर्धारण व्यक्तिगत बीमित खेत के स्तर पर किया जाता है, दावों का मूल्यांकन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है। इस मामले में, किसानों को नुकसान के 72 घंटों के भीतर राज्य सरकार, बीमा कंपनी, संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों, पोर्टल आदि पर ऑनलाइन नुकसान की सूचना देनी होती है। दावों को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा इन नुकसान सूचनाओं की जांच की जा सकती है और नुकसान की सीमा राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की समिति द्वारा तय की जाती है।

इसके अतिरिक्त, RWBCIS के तहत, प्रतिकूल मौसम मापदंडों के आधार पर दावों की गणना की जाती है, जैसे कि कम और अधिक वर्षा, उच्च या निम्न तापमान, आर्द्रता आदि जो फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार, दावे अधिसूचित मौसम स्टेशनों/वर्षा गेज स्टेशनों से प्राप्त मौसम/जलवायु डेटा पर निर्भर हैं।

युद्ध और परमाणु जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों से होने वाली नुकसान को इस योजना के अंतर्गत कवरेज से बाहर रखा गया है।

वर्ष 2016-17 में आरंभ की गई PMFBY योजना से लेकर 2024-25 तक, कुल मिलाकर 78.70 करोड़ किसान आवेदनों के अंतर्गत 50 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को इस योजना के तहत 20.20 लाख करोड़ रुपये की बीमा राशि के साथ बीमित किया गया है। किसानों द्वारा प्रीमियम के हिस्से के रूप में 38,640 करोड़ रुपये के भुगतान के विरुद्ध लगभग 23 करोड़ किसान आवेदनों को 1.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS के तहत 2024-25 के दौरान विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बीमित फसलों का राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	फसलें (खरीफ 2024)	फसलें (रबी 2024-25)
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पेडी (धान)	भिंडी, बैंगन, मूंग, लोबिया, टमाटर
आंध्र प्रदेश	ब्लैक ग्राम (उड़द), फिंगर मिलेट (रागी/ मंडिका), ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली, कोर्रा, मेज़ (मक्का), प्याज, पेडी (धान), बाजरा, अरहर (लाल चना/अरहर/तुअर), मिर्च, सेसम (जिंजेली/ तिल)/सेसमम, सोरगम (ज्वार/बाजरा), हल्दी	बंगाल ग्राम (चना), ब्लैक ग्राम उड़द), फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली मेज़ (मक्का), प्याज, पेडी (धान) सेसम (जिंजेली/ तिल)/सेसमम, सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), सूरजमुखी
असम	ब्लैक ग्राम (उड़द), जूट, मेज़ (मक्का), पेडी (धान)	मेज़ (मक्का), सरसों, पेडी (धान), आलू, गन्ना
छत्तीसगढ़	ब्लैक ग्राम (उड़द), फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली (मटर फली), कोदो मिलेट (कोडारा/वरगु), लिटिल मिलेट (समई/ कुटकी/कोदो-कुटकी), मेज़ (मक्का), पेडी (धान), पीजन पी (लाल चना/अरहर/तुअर), सोयाबीन (भट)	बंगाल ग्राम (चना), लिनसीड (अलसी), सरसों, गेहूं
गोवा	पेडी (धान), गन्ना	पेडी (धान), दलहन
हरियाणा	कॉटन (कपास), ग्रीन ग्राम (मूंग), मेज़ (मक्का), पेडी (धान), पर्ल मिलेट (बाजरा)	बारली (जौ), बंगाल ग्राम (चना), सरसों, सूरजमुखी, गेहूं
हिमाचल प्रदेश	मेज़ (मक्का), पेडी (धान)	बारली (जौ), गेहूं
जम्मू और कश्मीर	मेज़ (मक्का), पेडी (धान)	सरसों, गेहूं
झारखंड	मेज़ (मक्का), पेडी (धान)	बंगाल ग्राम (चना), सरसों, आलू, गेहूं
कर्नाटक	ब्लैक ग्राम (उड़द), ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली, हॉर्स ग्राम (कुलथी/कुलथा), मेज़ (मक्का), प्याज, पर्ल मिलेट (बाजरा), पीजन पी (लाल चना/अरहर /तुअर), मिर्च, सेसम (जिंजेली/तिल),सेसमम, सोरगम (ज्वार/बाजरा), सोयाबीन (भट), सूरजमुखी, हल्दी, कॉटन (कपास) नवाने, पेडी (धान), पीजन पी (लाल चना/अरहर/तुअर), फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), गोभी, सेव, टमाटर, लोबिया, आलू	मूंगफली प्याज, सूरजमुखी, पेडी (धान), टमाटर, फिंगर मिलेट (रागी/ मंडिका), सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), बंगाल ग्राम (चना), मेज़ (मक्का), गेहूं, हॉर्स ग्राम (कुलथी/ कुलथा), सेफ्लोवर (कुसुम/कर्दी), लिनसीड (अलसी), मेज़ (मक्का), आलू, ग्रीन ग्राम (मूंग), ब्लैक ग्राम (उड़द)
मध्य प्रदेश	ब्लैक ग्राम (उड़द), कॉटन (कपास), ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली, लिटिल मिलेट (समई/कुटकी /कोदो-कुटकी), मेज़ (मक्का), पेडी (धान), पर्ल मिलेट, (बाजरा), पीजन पी (लाल चना/अरहर /तुअर), सेसम (जिंजेली/तिल)/सेसमम, पर्ल मिलेट (बाजरा), पीजन पी (लाल चना/अरहर /तुअर), सेसम (जिंजेली/तिल)/सेसमम, सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), सोयाबीन (भट)	बंगाल ग्राम (चना), लैंटिल (मसूर), लिनसीड (अलसी), सरसों, गेहूं

महाराष्ट्र	ब्लैक ग्राम (उड़द), कॉटन (कपास), फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली मेज़ (मक्का), नाइजर (रामतिल), प्याज, पेडी (धान), पर्ल मिलेट (बाजरा), पीजन पी (लाल चना/अरहर/तुअर), सेसम (जिंजेली/तिल) /सेसमम, सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), सोयाबीन (भट)	बंगाल ग्राम (चना), मूंगफली प्याज, पेडी (धान), सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), गेहूं
मणिपुर	पत्ता गोभी, पेडी (धान)	-
मेघालय	अदरक, पेडी (धान)	बंगाल ग्राम (चना)
मिजोरम	धान, अदरक, मिर्च, पत्ता गोभी, बैंगन	-
ओडिशा	कॉटन (कपास), फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), अदरक, मूंगफली , मेज़ (मक्का), पेडी (धान), पीजन पी (लाल चना/अरहर/तुअर), हल्दी	ब्लैक ग्राम (उड़द), ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली , सरसों, प्याज, पेडी (धान), आलू, गन्ना, सूरजमुखी
पुदुचेरी	केला, पेडी (धान)	केला, ब्लैक ग्राम (उड़द), ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली पेडी (धान), कॉटन (कपास), गन्ना
राजस्थान	ब्लैक ग्राम (उड़द), कॉटन (कपास), लोबिया, ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली ग्वार, मेज़ (मक्का), मोठ बीन (किडनी बीन/ओस चना), पेडी (धान), बाजरा (बाजरा), पीजन पी (लाल चना/अरहर/तुअर), सेसम (जिंजेली/तिल)/सेसमम, सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), सोयाबीन (भट)	बारली (जौ), बंगाल ग्राम (चना), धनिया, जीरा, इसबगोल, लैंटिल (मसूर), मेज़ (मक्का), मेथी (फेनोग्रीक), सरसों, रॉकेट सलाद (तारामिरा), गेहूं
सिक्किम	ब्लैक ग्राम (उड़द), हिरन का गेहूं (कस्पत), फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), अदरक, मेज़ (मक्का), पेडी (धान), सोयाबीन (भट)	बारली (जौ), बक व्हीट (कस्पत), सरसों, आलू
तमिलनाडु	केला, भिंडी, ब्लैक ग्राम (उड़द), बैंगन, गोभी, गाजर, कॉटन (कपास), लोबिया, फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), लहसुन, ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली , हॉर्स ग्राम (कुलथी/कुलथा), लिटिल मिलेट (समई/कुटकी/कोदो-कुटकी), मेज़ (मक्का), प्याज, पेडी (धान), पर्ल मिलेट (बाजरा), पीजन पी (लाल चना/अरहर/तुअर), आलू, सेसम (जिंजेली/तिल)/सेसमम, सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), टैपिओका, टमाटर, हल्दी	केला, बंगाल ग्राम (चना), भिंडी, ब्लैक ग्राम (उड़द), बैंगन, गोभी, गाजर, धनिया, कॉटन (कपास), फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), लहसुन, ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली , मेज़ (मक्का), प्याज, पेडी (धान), पर्ल मिलेट, बाजरा, पीजन पी (लाल चना/अरहर/तुअर), आलू, मिर्च, सेसम (जिंजेली/तिल), सेसमम, सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), गन्ना, सूरजमुखी टैपिओका, टमाटर
त्रिपुरा	पेडी (धान)	बैंगन, फूलगोभी, पेडी (धान), आलू, टमाटर, तरबूज
उत्तर प्रदेश	ब्लैक ग्राम (उड़द), ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली मेज़ (मक्का), पेडी (धान), पर्ल मिलेट (बाजरा), पीजन पी (लाल चना/अरहर/तुअर), सेसम (जिंजेली/तिल)/सेसमम, सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), सोयाबीन (भट)	बारली(जौ), बंगाल ग्राम (चना), लैंटिल (मसूर), लैनसीड (अलसी), सरसों, मटर, आलू, गेहूं
उत्तराखंड	फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), पेडी (धान)	मसूर की दाल, गेहूं

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)		
आंध्र प्रदेश	एसिड लाइम, केला, कॉटन (कपास), मूंगफली, मोसंबी (मीठा संतरा), अनार, टमाटर	काजू, आम, टमाटर
छत्तीसगढ़	केला, बैंगन, मिर्च, अदरक, अमरूद, पपीता, टमाटर	बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी, प्याज, आलू, टमाटर
हिमाचल प्रदेश	पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, फूलगोभी, अदरक, मटर, आलू, टमाटर	सेब, शिमला मिर्च, फूलगोभी, साइट्रस, लहसुन, लीची, आम, आड़ू, मटर, बेर, अनार, आलू, टमाटर
कर्नाटक	अंगूर, अनार, मिर्च, आम, फूलगोभी, अदरक, सुपारी, काली मिर्च, पान की बेल, पपीता, एसिड लाइम	मिर्च, फूलगोभी
केरल	अमरफोफालस (सुरंकंद/एलिफेंट फुट यम), सुपारी, ऐश गॉर्ड (पेठा), अमरफोफैलस (सुरकंद/एलिफेंट फुट यम), सुपारी, ऐश गॉर्ड (पेठा), केला, पान, भिंडी, करेला, ब्लैक ग्राम (उड़द), पत्ता गोभी, इलायची, गाजर, काजू, मिर्च, लौंग, कोको, नारियल, कोलोकैसिया (अरवी, अरबी), लोबिया, ककड़ी, फ्रेंच बीन – पहाडी लहसुन, अदरक, ग्रेटर यम, ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली, लेसर यम, आम, जायफल, पेडी (धान), मटर, काली मिर्च, अनानास, आलू, कद्दू, रबर, सेसम (जिंजेली/तिल)/सेसमम, गॉर्ड, सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), गन्ना, शकरकंद, टेपिओका, चाय, टमाटर, हल्दी, यार्ड लॉन्ग बीन	फिंगर मिलेट (रागी/मंडिका), अमरफोफालस (सुरंकंद/एलिफेंटफुट (यम), सुपारी, ऐश गॉर्ड (पेठा), केला, पान, भिंडी, करेला, ब्लैक ग्राम (उड़द), गोभी, इलायची, गाजर, काजू, मिर्च, लौंग, कोको, नारियल, कॉफी, कोलोकैसिया (अरवी, अरबी), लोबिया, ककड़ी, फ्रेंच बीन्स - पहाडी लहसुन, अदरक, ग्रेटर यम, ग्रीन ग्राम (मूंग), मूंगफली, लेसर यम, लिटिल मिलेट (समई/कुटकी/कोदो-कुटकी), आम, जायफल, पेडी (धान), मटर, काली मिर्च, अनानास, आलू, कद्दू, रबर, सेसम (जिंजेली/तिल)/सेसमम, स्नेक गॉर्ड, सोरगम (ज्वार/ग्रेट मिलेट), सोयाबीन (भट), शकरकंद, टैपिओका, चाय, टमाटर, हल्दी, यार्ड लॉन्ग बीन
महाराष्ट्र	कस्टर्ड सेब, अंगूर, अमरूद, नींबू, मोसंबी संतरा, अनार, चीकू	केला, काजू, अंगूर, आम, मोसंबी, नारंगी, पपीता, अनार
राजस्थान	अरंडी (रेहडी, रेंडी, अरंडी), मिर्च, इंडियन स्कैश (टिंडा/गोल तरबूज), किन्नू, मेहंदी/हिना का पेड़, प्याज, संतरा, अनार, टमाटर	आंवला, बैंगन, फूलगोभी, सौंफ, लहसुन, अमरूद, नींबू, आम, प्याज, मटर, आलू, टमाटर, तरबूज
उत्तर प्रदेश	केला, मिर्च	शिमला मिर्च, आम, मटर, टमाटर
उत्तराखंड	मिर्च, फ्रेंच बीन - पहाड़ी अदरक, आलू, टमाटर	सेब, खट्टे फल, कीवी फ्रूट, लीची, आम, आड़, मटर, आलू, टमाटर

*****